

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) 2713551

election09@gmail.com

फोन न० (0135) 2713552

संख्या-2422 / XXV-12(11) / 2021

देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2021

09 दिसम्बर

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री दीपक ध्यानी,
सभासद, कमला नेहरू मार्ग,
दुगड्डा, पौड़ी-गढ़वाल
मो0न0-9410751201,

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-631 दिनांक 01 दिसम्बर 2021 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 26.11.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 02.12.2021 को प्राप्त हुआ है मैं मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित कार्यालय में धारित सूचना, निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

बिन्दु संख्या-	सूचना का विवरण
बिन्दु-1 एवं 2	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 (पेज नं0-1 से 11) कुल 20 पृष्ठ

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।
संलग्नक-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता-
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़,
देहरादून- 248001,

भवदीय,
B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

नई दिल्ली 10 नवम्बर, 1960

केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम, 1956 को अधिक्रान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960¹

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) ये नियम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 1961 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन--(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "अधिनियम" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "घोषित पद" से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसकी बाबत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है कि वह ऐसा पद है जिसे धारा 20 की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं;

²[(खख) "इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र" का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में है ;]

³[(ग) "प्ररूप" से वह प्ररूप अभिप्रेत है जो इन नियमों से संलग्न है और किसी निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में उसके अंतर्गत उस भाषा में या उन भाषाओं में से किसी में उसका अनुवाद आता है जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है ;]

²[(गग) "प्रवासी निर्वाचक" से धारा 20क में निर्दिष्ट भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जो अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो;]

(घ) "रजिस्ट्रीकरण आफिसर" से निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर अभिप्रेत है और उसका सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर इसके अंतर्गत आता है;

(ङ) "नामावली" से निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

4* * * * *

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन नियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होगा जैसे वह संसद के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2

सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां

3. निर्वाचन-क्षेत्र का अर्थ-- इस भाग में "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है।

4. नामावली का प्ररूप और भाषा-- हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप में और ऐसी भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जिसे या जिन्हें निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

5. नामावली का भागों में तैयार किया जाना--(1) नामावली सुविधाजनक भागों में विभाजित की जाएगी जो क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे।

(2) नामावली के अंतिम भाग में सेवा अर्हता रखने वाले ऐसे हर व्यक्ति और उसकी पत्नी के, यदि कोई हो, नाम अंतर्विष्ट होंगे जो उस नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार, नियम 7 के अधीन किए गए कथन के आधार पर हैं।

(3) घोषित पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी के, यदि कोई हो, नाम की नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार, नियम 7 के अधीन किए गए कथन के आधार पर हैं, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किए जाएंगे जो उस स्थान से संबंधित हैं जिसमें ये, उस कथन के अनुसार, मामूली तौर से निवासी होते।

²[(3क) धारा 20क के अधीन नामावली में सम्मिलित किए जाने के हकदार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक का नाम, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किया जाएगा जो उस स्थान से संबंधित है, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है।]

(4) नामावली के किसी भाग में सम्मिलित नामों की संख्या मामूली तौर से दो हजार से अधिक न होगी।

¹ विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2750, तारीख 10 नवंबर, 1960, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (ii), पृ० 633 में प्रकाशित।

² अधिसूचना सं० का०आ० 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित।

³ अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया।

6. नामों का क्रम— (1) जब तक कि मुख्य निर्वाचक आफिसर निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गए किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए किसी भाग की बाबत यह अवधारित न करे कि वर्णक्रम अधिक सुविधाजनक होगा या नाम भागतः एक और भागतः दूसरे क्रम में दर्ज किए जाएं, नामावली के हर एक भाग में निर्वाचकों के नाम गृह-संख्यांक के क्रम में दर्ज किए जाएंगे।

(2) नामावली के हर एक भाग में निर्वाचकों के नाम यावत्साध्य अंक 1 से आरंभ होने वाली पृथक् अंकमाला के अनुसार क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित किए जाएंगे।

7. धारा 20 के अधीन कथन— (1) हर व्यक्ति, जो घोषित पद धारण करता है या सेवा अर्हता रखता है और उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए वांछा रखता है जिसमें, यदि वह ऐसा पद धारण न करता या ऐसी अर्हता न रखता तो, वह मामूली तौर से निवासी होता, ¹[उस निर्वाचन-क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण आफिसर] को ²[प्ररूप 1, 2, 2क और 3] में से ऐसे एक प्ररूप में कथन देगा जो समुचित हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिया गया हर कथन उस प्ररूप में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(3) हर ऐसा कथन तब विधिमान्य न रह जाएगा जब उसे करने वाले व्यक्ति का, यथास्थिति, घोषित पद धारण करना या सेवा अर्हता रखना समाप्त हो जाता है।

8. निवास गृहों के अधिभोगियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी— रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली की तैयारी के प्रयोजन के लिए प्ररूप 4 में निवेदनपत्र निर्वाचन-क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवास गृहों के अधिभोगियों को भेज सकेगा और किसी ऐसे पत्र को पाने वाला हर व्यक्ति उसमें मांगी गई जानकारी को अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार देगा।

¹[8क. प्रवासी निर्वाचकों के रूप में व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए नोटिस देने की रीति-लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 36) के प्रारंभ पर और ऐसे अन्य समयों पर जो निर्वाचन आयोग निदेशित करे, मुख्य निर्वाचक आफिसर, नामावली में प्रवासी निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए, धारा 20क के अधीन प्रवासी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति से ²[नियम 8ख के अधीन आवेदन करने का] अनुरोध करने वाली एक लोक अधिसूचना जारी करेगा और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार के सभी विदेश स्थित मिशनों को भेजी जाएगी और वह ऐसा प्रचार भी करेगा जिसे वह समीचीन और आवश्यक समझे।

8ख. प्रवासी निर्वाचकों के नाम नामावली में सम्मिलित करना—(1) प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक जो रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा निरर्हित न हो तथा जो उस स्थान से संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है, रजिस्ट्रीकृत होने का इच्छुक हो, प्ररूप 6क में संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर को सीधे आवेदन कर सकेगा या डाक द्वारा उसे आवेदन भेज सकेगा।

(2) नियम 13 के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध प्रवासी निर्वाचक के रूप में नाम सम्मिलित करने या किसी प्रविष्टि की किन्हीं विशिष्टियों या किसी प्रविष्टि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के संबंध में दावा या आपत्तियों को फाइल करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) डाक द्वारा भेजे गए प्ररूप 6क के प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होंगी, जो ³[स्वयं द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित] होंगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत प्ररूप 6क में प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होंगी, जिसके साथ रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रतियां संलग्न की जाएंगी।

(5) जहां किसी प्रवासी निर्वाचक के रूप में नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए किसी दावे या आपत्ति के संबंध में कोई व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक है तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर, यदि आवश्यक समझा जाए तो इस प्रयोजन के लिए संबद्ध देश में भारतीय मिशन के किसी पदधारी को पदाभिहित कर सकेगा।]

9. कुछ रजिस्ट्रों तक पहुंच— किसी नामावली की तैयारी या नामावली की बाबत किसी दावे या आक्षेप के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकरण आफिसर और एतद्वारा नियोजित किसी व्यक्ति की पहुंच किसी जीवन-मृत्यु के रजिस्टर तक और किसी शैक्षणिक संस्था के प्रवेश रजिस्टर तक होगी और ऐसे रजिस्टर के भारसाधक हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त आफिसर या व्यक्ति को ऐसी जानकारी और उक्त रजिस्टर में से ऐसे उद्धरण दे जैसे वह अपेक्षित करे।

10. नामावली के प्रारूप का प्रकाशन— जैसे ही निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली तैयार हो जाए रजिस्ट्रीकरण आफिसर उसके प्रारूप को—

(क) उस दशा में, जिसमें उसका कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र में है अपने कार्यालय में, तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें उसका कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर है निर्वाचन-क्षेत्र में ऐसे स्थान में जैसा इस प्रयोजन के लिए उस द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ⁴[या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर की शासकीय वेबसाइट में], उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्ररूप 5 में सूचना संप्रदर्शित करके, प्रकाशित करेगा :

⁵[परंतु जहां ऐसे प्ररूप में प्रवासी निर्वाचकों के नाम अंतर्विष्ट हैं, वहां ऐसी नामावलियों की प्रतियां इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र में ⁶[या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में] भी प्रकाशित की जाएंगी।]

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।

² शुद्धिपत्र, अधिसूचना सं० का०आ० 306(अ), तारीख 9 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित।

³ अधिसूचना सं. 426 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ अधिसूचना सं. 426 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ अधिसूचना सं० का०आ० 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित।

⁶ अधिसूचना सं० का०आ० 426(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित।

11. नामावली और सूचना का अतिरिक्त प्रचार— रजिस्ट्रीकरण आधिकार—

(क) प्रथम 5 में सूचना की प्रति के सहित नामावली के एक प्रथक भाग की प्रति जनता की पहुँच वाले विनिर्दिष्ट स्थान में, और उस क्षेत्र में या उसके निकट, जिससे उस भाग का संबंध है, निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) प्रथम 5 वाली सूचना का ऐसा अतिरिक्त प्रचार भी करेगा जैसा वह आवश्यक समझे, तथा

(ग) नामावली के हर एक प्रथक भाग की दो प्रतियाँ भी ऐसे हर राजनैतिक दल को [जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने राज्य में प्रतीक अन्वय: आरक्षित किया है] खर्च किए बिना देगा।

12. दावे और आक्षेप दाखिल करने के लिए कालावधि— नामावली में नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए हर दावा और उसमें की किसी प्रविष्टि पर हर और आक्षेप नामावली के प्रथम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के अंदर या पन्द्रह दिन से अनधिक उतनी लघुतर कालावधि में जितनी इस निम्न निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की जाए दाखिल किया जाएगा :

परंतु निर्वाचन आयोग पूरे निर्वाचन-क्षेत्र की बाबत या उसके किसी भाग की बाबत इस कालावधि को राज्य में अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकता है।

13. दावा और आक्षेपों के लिए प्रथम—(1) हर दावा—

(क) प्रथम 6 में होगा, [तथा]

(ख) उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो नामावली में अपना नाम सम्मिलित करना चाहता है, [तथा]

(ग) नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने की बाबत हर आक्षेप—

(क) प्रथम 7 में होगा, [तथा]

(ख) कवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम पहले से ही उस नामावली में सम्मिलित है, [तथा]

(ग) कवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसका नाम पहले से ही उस नामावली में सम्मिलित है, [तथा]

(3) नामावली में की किसी प्रविष्टि की विधि या विधिस्थितियों की बाबत हर आक्षेप—

(क) प्रथम 8 में होगा, और

(ख) कवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध है।

14. दावे और आक्षेप दाखिल करने की सीमा— हर दावा या आक्षेप—

(क) या तो रजिस्ट्रीकरण आधिकार के या ऐसे अन्य आधिकार के, जो इस निमित्त उस द्वारा अभिहित किया जाए, समक्ष उपस्थित किया जाएगा, या

(ख) रजिस्ट्रीकरण आधिकार को [तथा]

15. अभिहित आधिकारों की प्रकिया—(1) नियम 14 के अधीन अभिहित हर आधिकार—

(क) प्रथम 9 में दावों की सूची, नामों के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेपों की प्रथम 10 में सूची और विधिस्थितियों की बाबत आक्षेपों की प्रथम 11 में सूची, दो प्रतियाँ में रखेगा, तथा

(ख) अपने कार्यालय में सूचना-पट्ट पर हर एक ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित रखेगा।

(2) वहाँ कि कोई दावा या आक्षेप उसके समक्ष उपस्थित किया जाता है वहाँ वह उपनियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात्, ऐसी विधियाँ के सहित, यदि कोई हों, लिखे करेगा वह उचित समझता है, उसी रजिस्ट्रीकरण आधिकार के पास भेजेगा।

- 1 अधिसूचना सं० का०आ० 2791, तारीख 24 नवंबर, 1961 द्वारा "जिसके लिए प्रतीक आरक्षित किया गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- 2 अधिसूचना सं० का०आ० 35 (अ), तारीख 21 जनवरी, 1977 द्वारा नियम 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- 3 अधिसूचना सं० का०आ० 817(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1993 द्वारा अंतःस्थापित।
- 4 अधिसूचना सं० का०आ० 817(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1993 द्वारा "तथा" शब्द और खंड (ग) को लीप किया गया।
- 5 अधिसूचना सं० का०आ० 934(अ), तारीख 18 अगस्त, 2003 द्वारा अंतःस्थापित।
- 6 अधिसूचना सं० का०आ० 3661, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा "रजिस्ट्रीकरण" शब्द को लीप किया गया।

16. रजिस्ट्रीकरण आफिसर की प्रक्रिया—रजिस्ट्रीकरण आफिसर भी,—

(क) प्ररूप 9, 10 और 11 में तीन सूचियां दो प्रतियों में रखेगा और सीधे नियम 14 के अधीन किए गए या नियम 15 के अधीन भेजे गए हर दावे या आक्षेप की विशिष्टियां उन सूचियों में वैसे ही और तब प्रविष्ट करेगा जैसे ही और जब वह दावा या आक्षेप उसे प्राप्त हो, तथा

(ख) अपने कार्यालय में सूचना-पट्ट पर हर एक ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित रखेगा :

¹[परंतु जहां कोई दावा या आपत्ति, प्रवासी निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, वहां ऐसे दावों या आपत्तियों की एक सूची उसके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और साथ ही ऐसे रूप में, जैसा निर्वाचन आयोग आदेश करे, इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र में ²[या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में] भी प्रकाशित की जाएगी]]

17. कुछ दावों और आक्षेपों का खारिज किया जाना—जो कोई दावा या आक्षेप एतस्मिन् विनिर्दिष्ट कालावधि के अंदर या प्ररूप और रीति में दाखिल नहीं किया गया है वह रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा खारिज कर दिया जाएगा ।

18. जांच के बिना दावों और आक्षेपों का प्रतिग्रहण—किसी दावे या आक्षेप की विधिमान्यता के बारे में यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान हो जाता है तो उस तारीख से, जिसको वह नियम 16 के खंड (ख) के अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित सूची में प्रविष्ट किया जाता है, एक सप्ताह के अवसान के पश्चात् किसी अतिरिक्त जांच के बिना वह उसे अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु जहां कि किसी ऐसे दावे या आक्षेप के अनुज्ञात किए जाने के पूर्व किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण आफिसर से जांच की मांग लिखित रूप में की है, वहां अतिरिक्त जांच के बिना वह अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

19. दावों और आक्षेपों की सुनवाई की सूचना—(1) जहां कि कोई दावा या आक्षेप नियम 17 या नियम 18 के अधीन नहीं निपटाया जाता वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर—

(क) दावे या आक्षेप की सुनवाई की तारीख, समय और स्थान नियम 16 के खंड (ख) के अधीन अपने द्वारा प्रदर्शित सूची में विनिर्दिष्ट करेगा, तथा

(ख) (i) दावे की दशा में, प्ररूप 12 में दावेदार को,

(ii) नाम के सम्मिलित किए जाने की बाबत आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता को प्ररूप 13 में और उस व्यक्ति को प्ररूप 14 में जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, तथा

(iii) प्रविष्टियों में विशिष्टि या विशिष्टियों की बाबत आक्षेप की दशा में, आक्षेपकर्ता को प्ररूप 15 में सुनवाई की सूचना देगा ।

(2) इस नियम के अधीन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप में या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या निर्वाचन-क्षेत्र के अंदर व्यक्ति के निवास या अंतिम ज्ञात निवास पर लगा कर दी जाएगी ।

20. दावों और आक्षेपों की जांच—(1) रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे हर दावे या आक्षेप की संक्षिप्त जांच करेगा जिसकी बाबत नियम 19 के अधीन सूचना दी गई है और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा ।

(2) सुनवाई में, यथास्थिति, दावेदार या आक्षेपकर्ता और वह व्यक्ति, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, और कोई अन्य व्यक्ति जिसकी बाबत रजिस्ट्रीकरण आफिसर की यह राय है कि यह संभाव्यता है कि वह व्यक्ति मेरे लिए सहायक होगा, उपसंजात होने और सुने जाने का हकदार होगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण आफिसर स्वविवेक में—

(क) यह अपेक्षा किसी दावेदार, आक्षेपकर्ता या उस व्यक्ति से, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, कर सकेगा कि तुम मेरे समक्ष स्वयं उपसंजात हो,

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निविदत्त साक्ष्य शपथ पर दिया जाए और उस प्रयोजन के लिए शपथ दिला सकेगा ।

21. जो नाम अनवधानता से छूट गए हैं उन्हें सम्मिलित करना—³[(1)] रजिस्ट्रीकरण आफिसर को यदि यह प्रतीत होता है कि किन्हीं निर्वाचकों के नाम तैयारी के दौरान ⁴*** अनवधानता या गलती के कारण, नामावली में से छूट गए हैं

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

² अधिसूचना सं० का०आ० 426(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

³ अधिसूचना सं० का०आ० 3661, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा नियम 21 को उस नियम के उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

⁴ अधिसूचना सं० का०आ० 3661, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

और इस नियम के अधीन उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर—

(क) ऐसे निर्वाचकों के नामों और अन्य ब्यौरों की सूची तैयार करेगा,

(ख) सूची की एक प्रति को उस समय और स्थान के बारे में, जिस पर नामावली में इन नामों को सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा, सूचना सहित अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर दर्शित करेगा, और ऐसी अन्य रीति में, जैसे वह ठीक समझे, सूची और सूचना को प्रकाशित भी करेगा, तथा

(ग) जो कोई मौखिक या लिखित आक्षेप किए जाएं उन पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि क्या उन नामों में से सबको या किसी को नामावली में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

¹[2] यदि नियम 7 के अधीन कोई कथन नियम 10 के अधीन नियमावली के प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त होते हैं तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली के उचित भागों में निर्वाचकों के उन नामों के सम्मिलित किए जाने के लिए निदेश देगा जो उन कथनों के अंतर्गत हों ।]

²[21क. नामों का निकाला जाना—यदि नामावली के अंतिम प्रकाशन से पूर्व किसी समय रजिस्ट्रीकरण आफिसर को यह प्रतीत होता है कि मृत व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गए हैं, या नहीं हैं; या ऐसे व्यक्ति जो उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं हैं, अनवधानता या गलती के कारण या अन्यथा नामावली में सम्मिलित किए गए हैं और इस नियम के अधीन उपचारी कार्यवाही की जानी चाहिए तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर,—

(क) ऐसे निर्वाचकों के नामों के और अन्य ब्यौरों की सूची तैयार करेगा,

(ख) सूची की एक प्रति को, उस समय और स्थान के बारे में, जहां और जब इन नामों को नामावली से निकाले जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, सूचना सहित अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और ऐसी अन्य रीति में, जैसी वह ठीक समझे, सूची या सूचना को प्रकाशित भी करेगा; और

(ग) जो कोई मौखिक या लिखित आक्षेप किए जाएं, उन पर विचार करने के पश्चात् यह भी विनिश्चय करेगा कि क्या उन नामों में से सबको या किसी को नामावली में से निकाल दिया जाना चाहिए :

परंतु किसी व्यक्ति की बाबत इस आधार पर कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या नहीं है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, रजिस्ट्रीकरण आफिसर उसे यह हेतुक दिखाने के लिए कि उसके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए, युक्तियुक्त अवसर देने के सब प्रयत्न करेगा ।]

22. नामावली का अंतिम प्रकाशन—(1) रजिस्ट्रीकरण आफिसर तत्पश्चात्—

(क) नियम 18, 20, ³[21 और 21क] के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए और नामावली में की ऐसी किन्हीं लेखन या मुद्रण संबंधी गलतियों या अन्य अशुद्धताओं को जिनका तत्पश्चात् पता चले शुद्ध करने के लिए संशोधनों की सूची तैयार करेगा; ⁴***

(ख) संशोधनों की सूची सहित नामावली को अपने कार्यालय में उसकी पूरी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्ररूप 16 में सूचना संप्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा; ⁵[परंतु जहां किसी नामावली में किसी प्रवासी निर्वाचक का नाम अंतर्विष्ट है तो उसे इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र में ⁶[या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में] भी प्रकाशित किया जाएगा; ⁷[तथा]

⁷[(ग) ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए जो निर्वाचन आयोग दे, ऐसे प्रत्येक राजनैतिक दल को, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने कोई प्रतीक अनन्य रूप से आरक्षित किया है, अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली की दो प्रतियों को, संशोधनों की, यदि कोई हों, सूची सहित, निःशुल्क प्रदाय करेगा ।]

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 3661, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा अंतःस्थापित किया गया ।

² अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा नियम 21क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ अधिसूचना सं० का०आ० 1519, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा “और 21” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ अधिसूचना सं० का०आ० 233(अ), तारीख 31 मार्च, 1984 द्वारा “तथा” शब्द का लोप किया गया ।

⁵ अधिसूचना सं० का०आ० 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।

⁶ अधिसूचना सं० का०आ० 426(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁷ अधिसूचना सं० का०आ० 233(अ), तारीख 31 मार्च, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) ऐसे प्रकाशन पर संशोधनों की सूची सहित नामावली निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी ।

¹[(3) जहां कि नामावली (जिसे इस उपनियम में इसके पश्चात् आधारी नामावली कहा गया है) संशोधनों की सूची सहित, उपनियम (2) के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली बन जाती है वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सभी संबंधित व्यक्तियों को सुविधा के लिए, आधारी नामावली के ही सुसंगत भागों में सूची में के ²[आधारी नामावली के ही सुसंगत भागों में प्रविष्टियों के नाम, संशोधन, उन्हें अन्यत्र रखने या निकाले जाने को सम्मिलित करके], नामावली में सूची का समावेश, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निकाले गए किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अधीन, कर सकेगा, किंतु इस प्रकार के ऐसे समावेश के दौरान किसी निर्वाचक के नाम या किसी निर्वाचक से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों में, जैसी कि वे संशोधनों की सूची में दी गई हैं, कोई परिवर्तन न हो]]

23. दावों और आक्षेपों का विनिश्चय करने वाले आदेशों से अपीलें— (1) नियम 20, ³[नियम 21 या नियम 21क] के अधीन रजिस्ट्रीकरण आफिसर के किसी विनिश्चय की अपील सरकार के ऐसे आफिसर से की जाएगी जिसे निर्वाचन आयोग इस निमित्त अभिहित करे (जिसे एतस्मिन् पश्चात् अपील आफिसर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है):

परंतु अपील उस सूरत में नहीं होगी जिसमें कि अपील की वांछ करने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील का विषय है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सुने जाने या अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का फायदा नहीं उठाया है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन हर अपील—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी; और

(ख) विनिश्चय के सुनाए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की कालावधि के अंदर अपील आफिसर के समक्ष उपस्थित की जाएगी या उस आफिसर को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे भेजी जाएगी कि वह उक्त कालावधि के अंदर तक उसके पास पहुंच जाए ।

(3) इस नियम के अधीन अपील उपस्थित करने का यह प्रभाव न होगा कि कोई ऐसा कार्य रोक दिया जाए या मुलतवी कर दिया जाए जो रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियम 22 के अधीन किया जाना है ।

(4) अपील आफिसर का हर विनिश्चय अंतिम होगा, किंतु जहां तक कि वह रजिस्ट्रीकरण आफिसर के विनिश्चयों को उलटता है या उपांतरित करता है वहां तक वह अपील के विनिश्चय की तारीख से ही प्रभावी होगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण आफिसर नामावली में ऐसे संशोधन कराएगा जैसे इस नियम के अधीन अपील आफिसर के विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों ।

24. निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःपरिमीन पर निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिए विशेष उपबंध—(1) यदि कोई निर्वाचन-क्षेत्र विधि के अनुसार नए सिरे से परिमीन किया जाए और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली आत्यांतिकतः तैयार करना आवश्यक हो, तो निर्वाचन आयोग यह निदेश दे सकेगा कि वह—

(क) विद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों या उनमें ऐसे भागों की, जो नए निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं, ऐसी नामावलियों को एक साथ जोड़ करके, और

(ख) ऐसे संकलित नामावलियों के क्रम विन्यास, क्रम संख्यांकन और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके, तैयार की जाए ।

(2) ऐसे तैयार की गई नामावली नियम 22 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन पर वह नए निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी ।

⁴[24क. पूर्व परिमीन निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिए विशेष उपबंध—(1) नियम 24 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अन्तिम परिमीन से पूर्व किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली आत्यांतिकतः तैयार करना आवश्यक हो, तो निर्वाचन आयोग यह निदेश दे सकेगा कि वह—

(क) नए परिमीन निर्वाचन-क्षेत्रों या उसके सुसंगत भागों के तत्स्थानी क्षेत्रों जो पूर्व परिमीन निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट थे, ऐसी नामावलियों को एक साथ जोड़ करके; और

(ख) ऐसी तैयार की गई नामावलियों के क्रम विन्यास, क्रम संख्यांकन और शीर्षक आदि में समुचित परिवर्तन करके, तैयार की जाए ।

(2) ऐसी तैयार की गई नामावली नियम 22 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन पर वह संबद्ध पूर्व परिमीन निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली होगी]]

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 1033, तारीख 12 मार्च, 1970 द्वारा अंतःस्थापित ।

² अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ अधिसूचना सं० का०आ० 1519, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा "नियम 21" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ अधिसूचना सं० का०आ० 1219(अ), तारीख 15 मई, 2009 द्वारा (15-5-2009 से) अंतःस्थापित ।

25. ¹[नामावलियों का पुनरीक्षण]-- (1) हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः संक्षिप्ततः ऐसे पुनरीक्षित की जाएगी, जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

(2) जहां कि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी या किया जाना है, वहां वह नए सिरे से तैयार की जाएगी या किया जाएगा और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में 4 से लेकर 23 तक के नियम ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं।

(3) जबकि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी है या किया जाना है तब रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी जानकारी के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार कराएगा और नामावली को संशोधनों की सूची के प्रारूप सहित प्रकाशित करेगा; और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में नियम ²[8क] से लेकर नियम 23 तक के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जहां कि उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों को सूची के प्रारूप के प्रकाशन और नियम 22 के अधीन उसके अंतिम प्रकाशन के बीच किसी समय धारा 23 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में भी उस दशा में के सिवाय सम्मिलित कराएगा जिसमें कि उसकी राय में ऐसे सम्मिलित किए जाने के लिए कोई विधिमाम्य आक्षेप है।

26. ³[निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टियों का शुद्ध किया जाना और नामों को सम्मिलित किया जाना]-- ⁴[(1) धारा 22 या धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन प्रारूप ⁵[6, ⁶[6क], 7, 8, 8क और 8ख] में से ऐसे एक प्रारूप में जैसा समुचित हो, दो प्रतियों में किया जाएगा ⁷***] :

⁸[परंतु ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास सेवा अर्हताएं हैं, निर्वाचक नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त प्रारूप 2, 2क और 3 में विवरणियों को, धारा 22 और 23 के अधीन आवेदन के रूप में माना जाएगा ⁷***।

⁹[(1क) ऐसा प्रत्येक आवेदन, जो उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्वाचन आयोग निदेश दे]]

9*	*	*	*
7*	*	*	*

(3) ¹⁰*** रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर अविलंब यह निदेश देगा कि उसकी एक प्रति यह आमंत्रित करने वाली सूचना के साथ अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगा दी जाए कि ऐसे लगाए जाने की तारीख से सात दिन की कालावधि के अंदर ऐसे आवेदन पर आक्षेप किए जाएं।

¹¹[(4) यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर को कोई आवेदन या उसके आक्षेप प्राप्त हुए हों तो वह उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए तो, वह नामावली में जैसा आवश्यक हो, प्रविष्टियों के समावेश, निकाले जाने, संशोधन या अन्यत्र रखने का निदेश देगा :

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा "नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² अधिसूचना सं० का०आ० 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) "9" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा पार्श्वशीर्ष "निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ अधिसूचना सं० का०आ० 934(अ), तारीख 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ अधिसूचना सं० का०आ० 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित।

⁷ अधिसूचना सं० का०आ० 537(अ), तारीख 22 जुलाई, 1992 द्वारा उपनियम (2) और (2क) तथा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

⁸ अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित।

⁹ अधिसूचना सं० का०आ० 817(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1993 द्वारा उपनियम (1ख) का लोप किया गया।

¹⁰ अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

¹¹ अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा उपनियम (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परंतु जब रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी आवेदन को नामंजूर कर देता है तो वह ऐसे नामंजूर किए जाने के अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा ।]

27. ¹*** नियम 26 के अधीन आदेशों से अपीलें— ²[(1) धारा 24 के अधीन हर अपील,—

(क) ³[अपीलार्थी] द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में ;

(ख) अपीलित आदेश की प्रति के साथ ⁴[पांच रुपए की फीस सहित] जो कि—

(i) न्यायिकेतर स्टांपों के रूप में दी जाएगी; या

(ii) मुख्य निर्वाचन आफिसर के नाम में सरकारी खजाने में या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाएगी; या

(iii) ऐसी अन्य रीति में दी जाएगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे; और]

⁶[(ग) मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उस आदेश की तारीख से, जिसके खिलाफ अपील की गई है पन्द्रह दिन की कालावधि के अंदर उपस्थित करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे भेजी जाकर कि उक्त कालावधि के अंदर उसके पास पहुंच जाए,]

की जाएगी:

⁷[परंतु यदि मुख्य निर्वाचन आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि अपील को विहित समय के भीतर प्रस्तुत न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतुक है तो वह उसे विलंब से अपील प्रस्तुत करने के लिए माफ कर सकेगा।]

⁸[(1क) जहां कि फीस उपनियम (1) के खंड (ख) (ii) के अधीन जमा की जाती है वहां अपीलार्थी फीस जमा करने के सबूत के रूप में सरकारी खजाने की रसीद अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न करेगा ।]

⁹[(2) अपील की बाबत उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस दशा में, जिसमें कि अपील का ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आफिसर को स्वयं या उस द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य आफिसर को अपीलार्थी द्वारा या उसकी ओर से प्रिदत्त किया गया है मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उपस्थित की गई है ।]

28. अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों के लिए अभिज्ञान-पत्र ¹⁰*** —(1) निर्वाचन आयोग मतदान के समय निर्वाचकों का प्रतिरूपण रोकने और उनका अभिज्ञान सुकर बनाने की दृष्टि से, राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस नियम के उपबंध ¹¹[किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र या उसके भाग] को लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) ऐसे अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण आफिसर उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र इस नियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया अभिज्ञान-पत्र हर निर्वाचक को दिए जाने के लिए इंतजाम करेगा ।

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा "आवेदनों का अग्रहण" शब्दों का लोप किया गया ।

² अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा "आवेदक" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ अधिसूचना सं० का०आ० 370, तारीख 25 जनवरी, 1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा "एक रुपए की फीस सहित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁸ अधिसूचना सं० का०आ० 370, तारीख 25 जनवरी, 1968 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁹ अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

¹⁰ अधिसूचना सं० का०आ० 1505, तारीख 21 अप्रैल, 1969 द्वारा लोप किया गया ।

¹¹ अधिसूचना सं० का०आ० 1505, तारीख 21 अप्रैल, 1969 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) अभिज्ञान-पत्र—

(क) दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा,

(ख) में निर्वाचक का नाम, आयु, निवास-स्थान और ऐसी अन्य विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जैसी निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं,

(ग) के साथ निर्वाचक का एक फोटोग्राफ लगा होगा जो सरकार के व्यय पर खिंचवाया गया होगा, तथा

(घ) में रजिस्ट्रीकरण आफिसर का अनुलिपि हस्ताक्षर होगा:

परंतु यदि निर्वाचक अपना फोटोग्राफ खिंचवाने से इंकार करता है या बचता है या शासकीय फोटोग्राफर द्वारा बार-बार प्रयत्न किए जाने पर भी अपने निवास-स्थान में नहीं पाया जाता तो निर्वाचक के लिए ऐसा अभिज्ञान-पत्र तैयार न किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में इंकार करने या बचने का या इस बात का कि बार-बार प्रयत्न करने पर भी निर्वाचक अपने निवास-स्थान में नहीं पाया गया, टिप्पण कर दिया जाएगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन तैयार किए गए अभिज्ञान-पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा रख ली जाएगी और दूसरी प्रति निर्वाचक को परिदत्त कर दी जाएगी जिसे वह मतदान के समय पेश करने के लिए अपने पास रखेगा।

¹[भाग 3

दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

29. दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां— दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में भाग 2 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं]

भाग 4

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

30. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां— (1) हर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप, शीति और भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी और बनाए रखी जाएगी जैसे या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

(2) ²[नियम 26 के उपनियम (3) और (4) के सिवाय और नियम 27] के उपबंध स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं:

परंतु नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन प्ररूप 17 में दिया जाएगा :

³[परंतु यह और भी कि जहां नियम 26 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा प्राप्त किया जाए, वहां वह ऐसे आवेदन को संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक आफिसर को निर्दिष्ट करेगा और मुख्य कार्यपालक आफिसर से उसके संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार कार्य करेगा]

31. स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए नामावलियां—(1) हर स्नातक या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली ऐसे प्ररूप, शीति और भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएगी जैसी या जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

(2) नामावली सुविधाजनक भागों में विभाजित की जाएगी जो क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे।

¹ अधिसूचना सं० का० आ० 2577, तारीख 6 सितंबर, 1963 द्वारा भाग 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² अधिसूचना सं० का० आ० 3661, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा "नियम 26 और 27" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ अधिसूचना सं० का० आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा दूसरे परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण आफिसर ¹[अक्टूबर] को या से पूर्व एक लोक सूचना निकालेगा जिसमें उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए, यथास्थिति, प्ररूप 18 या प्ररूप 19 में आवेदन आगामी ¹[नवंबर] के सातवें दिन से पूर्व उसके कार्यालय में भेज दे या परिदत्त कर दे :

²[परंतु मध्य प्रदेश की राज्य विधान परिषद् के लिए प्रथम बार नामावली तैयार करने के प्रयोजनार्थ 1 अक्टूबर और नवंबर के सातवें दिन के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थ क्रमशः 31 दिसंबर, 1966 और फरवरी, 1967 के सातवें दिन के प्रति किए गए निर्देशों के रूप में किया जाएगा]]

(4) निर्वाचन-क्षेत्र में चलने वाले दो समाचारपत्रों में उक्त सूचना प्रकाशित की जाएगी और एक बार 15 ¹[अक्टूबर] को या उसके लगभग और फिर 25 ¹[अक्टूबर] को या उसके लगभग उसमें पुनः प्रकाशित की जाएगी :

²[परंतु मध्य प्रदेश की राज्य विधान परिषद् के लिए प्रथम बार नामावली तैयार करने के संबंध में 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थ क्रमशः 15 जनवरी और 25 जनवरी, 1967 के प्रति किए गए निर्देशों के रूप में किया जाएगा]]

³[(4क) उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध धारा 21 की उपधारा (2) (क) (ii) के अधीन हर स्नातक या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली के पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे ऐसी नामावली की तैयारी के संबंध में लागू होते हैं किंतु वे इन उपांतरों के अधीन रहेंगे कि उपनियम (3) में 1 अक्टूबर और नवंबर के सातवें दिन के प्रति निर्देशों का और उपनियम (4) में 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः ऐसी तारीखों के प्रति निर्देशों के रूप में किया जाएगा जो ऐसे प्रत्येक पुनरीक्षण के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं]]

(5) नियम 13 के उपनियम (1) के खंड (ग) और उपनियम (2) के खंड (ग) के सिवाय नियम 10 से लेकर नियम 27 तक के उपबंध स्नातक और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे कि सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में लागू हैं :

परंतु नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए दावा या आवेदन प्ररूप 18 या प्ररूप 19 में से जो भी समुचित हो उसमें किया जाएगा :

4* * * * *

भाग 5

निर्वाचक नामावलियों का परिरक्षण और व्ययन

32. नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों की अभिरक्षा और परिरक्षण--- (1) निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिए जाने के पश्चात् निम्नलिखित कागजपत्र, अर्थात्:—

- (क) नामावली की एक पूरी प्रति,
- (ख) मुख्य निर्वाचन आफिसर को नियम 7 के अधीन निवेदित कथन,
- (ग) रजिस्ट्रीकरण आफिसर को नियम 8 के अधीन निवेदित कथन,
- (घ) प्रगणन प्ररूपों का रजिस्टर,
- (ङ) नामावली की तैयारी के संबंध में आवेदन,
- (च) प्रगणन अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए और नामावली के संकलन के लिए उपयोग में लाए गए पांडुलिपि भाग,
- (छ) दावों और आक्षेपों से संबद्ध कागजपत्र,

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित ।

² अधिसूचना सं० का०आ० 3963, तारीख 24 दिसंबर, 1966 द्वारा अंत-स्थापित ।

³ अधिसूचना सं० का०आ० 1127, तारीख 1 अप्रैल, 1967 द्वारा अंत-स्थापित ।

⁴ अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा दूसरे परंतुक का लोप किया गया ।

(ज) नियम 23 के अधीन अपीलों से संबद्ध कागजपत्र, तथा

(झ) धारा 22 और 23 के अधीन आवेदन,

रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान में जैसा मुख्य निर्वाचन आफिसर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तब तक रखे जाएंगे जब तक उस नामावली के अगले विस्तृत पुनरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष का अवसान न हो जाए ।

(2) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नामावली की ऐसी एक प्रति भी, जो रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणीकृत है ऐसे स्थान में, जैसा मुख्य निर्वाचन आफिसर विनिर्दिष्ट करे ¹[स्थायी अभिलेख के रूप में] रखी जाएगी ।

33. निर्वाचक नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों का निरीक्षण-- हर व्यक्ति को नियम 32 में निर्दिष्ट निर्वाचन कागजपत्रों के निरीक्षण का और उनकी अनुप्रमाणित प्रतियां लेने का अधिकार ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा नियत की जाए, होगा ।

34. निर्वाचक नामावलियों और संसक्त कागजपत्रों का व्ययन--(1) नियम 32 में निर्दिष्ट कागजपत्र उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान पर और ऐसे साधारण या विशेष निदेशों, यदि कोई हों, के अध्वधीन, जैसे इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएं, ऐसी रीति में व्ययनित किए जाएंगे जैसी मुख्य निर्वाचन आफिसर निर्दिष्ट करे ।

(2) किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली की उस संख्या से अधिक प्रतियां, जितनी संख्या में नियम 32 के अधीन वे निक्षिप्त की जाने के लिए और किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं, ऐसे समय और रीति में व्ययनित की जाएंगी जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे और ऐसे व्ययन के न किए जाने तक वे लोगों को विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगी।

²[भाग 6

प्रकीर्ण

35. पुराने प्ररूपों का प्रयोग-- यदि ऐसी तारीख से, जिसको इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष कोई दावा, आक्षेप या अन्य आवेदन करने के लिए किसी प्ररूप में कोई संशोधन किया जाता है, छह मास की कालावधि के दौरान, किसी समय कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जैसा वह ऐसे संशोधन से पूर्व था, यथास्थिति, ऐसा दावा, आक्षेप या अन्य आवेदन करता है तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे दावे, आक्षेप या अन्य आवेदन पर कार्रवाई करेगा और वह, इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति से लिखित रूप में सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जानकारी (वह जानकारी, जो यदि संशोधन प्ररूपों का प्रयोग किया गया होता तो, दी गई होती) ऐसे समुचित समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, दे]।

¹ अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² अधिसूचना सं० का०आ० 1128(अ), तारीख 29 दिसंबर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित ।



सत्यमेव जयते

पत्रवाहक / पंजीकृत

02/12/21

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या- 631 /सू0काअ0/3062/2021

दिनांक 01 दिसम्बर, 2021

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री दीपक ध्यानी, सभासद, कमला नेहरू मार्ग, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अनुरोध-पत्र दिनांकित 26.11.2021 राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 29.11.2021 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता द्वारा रू0 20.00 का पोस्टल आर्डर भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी बिन्दु संख्या- 01 व 02 सूचनाएं आपके विभाग से संबंधित होने के फलस्वरूप सन्दर्भित अनुरोध पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से अंतरित की जा रही हैं कि उपरोक्त बिन्दुओं में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)

सहायक आयुक्त /

लोक सूचना अधिकारी।

मो0 7302254903

संख्या- — /सू0काअ0/3062/2021 तददिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपि:- श्री दीपक ध्यानी, सभासद, कमला नेहरू मार्ग, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ।

(राजकुमार वर्मा)

सहायक आयुक्त /

लोक सूचना अधिकारी।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अन्तर्गत मुझे निम्न विद्युती पर जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस हेतु ₹ 90-00 ~~मुझे~~ ^{मार्स्टल आर्डर} प्रेषित किये जा रहे हैं।

विद्यु सं-1 - यदि किसी व्यक्ति की उत्तराखण्ड में कोई स्थाई सम्पत्ति नहीं है और वह व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास कर रहा है तो क्या उसका वोट कार्ड में नाम अंकित किये जाने का कोई प्राविधान निश्चित है यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में कोई विभागीय आदेश/नियम होने का कष्ट करें।

विद्यु सं-2 - यदि किसी व्यक्ति की किसी जनपद में स्थाई सम्पत्ति है तथा वहाँ निवासरत है तो क्या वह व्यक्ति किसी अन्य जनपद में अपना वोट पहिचान प्रम बना सकने का कोई प्राविधान है यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में कोई विभागीय आदेश/नियम होने का कष्ट करें।

विद्यु सं-3 - यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका/नगरनिगम क्षेत्र में अस्थायी रूप से निवासरत है और उसका वोट लिस्ट में भी नाम दर्ज है परंतु उस व्यक्ति की उस क्षेत्रगत कोई स्थाई सम्पत्ति नहीं है तो क्या वह व्यक्ति नगरपालिका/नगरनिगम में होने वाले चुनाव सभासद/पार्सिड/अध्यक्ष का चुनाव लड़ने हेतु अर्हता रखता है यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में कोई विभागीय आदेश/निर्देश होने का कष्ट करें।

- 3062/21
R.no. 983/30.11.21

श्री दिनेश

30.11.2021
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सलमंत्रा -

₹ 90-00 ~~मुझे~~

मार्स्टल आर्डर

246 719342

दि. 26/11/2021

भवदीय

(दीपक ध्यानी)

सभासद

कमला, नेहरू मार्ग दुर्गाडा
पौड़ी गढ़वाल

MB 9410751201

Received P.O. 201-

(Ajayendra Singh)
D.E.O.

A.C / P/O
29.11.21
हि.पाली जांशी पेटवाल
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड